न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
26/2016	धारा 212 RTA व धारा 151 CPC	22.09.2014	30.07.2019

1. कनोज पत्नी स्व. गोपालदान जाति चारण निवासी धीरासर चारणान जिला चूरू (राज.)
2. उम्मेददान पुत्र स्व. गोपालदान जाति चारण निवासी धीरासर चारणान जिला चूरू (राज.)
3. विनोददान पुत्र स्व. गोपालदान जाति चारण निवासी धीरासर चारणान जिला चूरू (राज.)
4. लिछमणदान पुत्र स्व. गोपालदान जाति चारण उम्र 15 वर्ष नाबालिग निवासी धीरासर चारणान जिला चूरू (राज.) जरिये कुदरती वली माता कनोज पत्नी स्व. गोपालदान
5. विष्णुदान पुत्र स्व. गोपालदान जाति चारण उम्र 12 वर्ष नाबालिग निवासी धीरासर चारणान जिला चूरू (राज.) जरिये कुदरती वली माता कनोज पत्नी स्व. गोपालदान

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. चिमनाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर
2. मीरा पुत्री जसदान पत्नी खेतूदान जाति चारण निवासी हाल वार्ड नं. 8 डॉक्टर पाल वाली गली, ऐलनाबाद, सिरसा (हरियाणा)
3. चूनदान पुत्र स्व. जसदान जाति चारण निवासी धीरासर चारणान जिला चूरू (राज.)
4. चान्दादेवी पत्नी स्व.जसदान जाति चारण निवासी धीरासर चारणान जिला चूरू (राज.)
5. शायर पुत्री स्व. जसदान पत्नी जगमालदान जाति चारण निवासी हाल सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)
6. उप पंजीयक, चूरू

—अप्रार्थीगण—

7. बीजूकंवर पुत्री स्व. गोपालदान पत्नी मदनदान जाति चारण निवासी धीरासर चारणान जिला चूरू (राज.) हाल निवासी चारणवासी तहसील सरदारशहर जिला चूरू
8. प्रेमकंवर पुत्री स्व. गोपालदान पत्नी दिनेशदान जाति चारण निवासी धीरासर चारणान जिला चूरू (राज.) हाल निवासी नैणासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
9. सुमनकंवर पुत्री स्व. गोपालदान पत्नी शिरूदान जाति चारण निवासी धीरासर चारणान जिला चूरू (राज.) हाल निवासी जीली तहसील सुजानगढ जिला चूरू
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—गौण अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी.

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 से 5 व 7 से 9 ग्राम धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू के मूल निवासीगण हैं। अप्रार्थी सं. 2 ता 5 व 7 से 9 एवं प्रार्थीगण एक ही पूर्वज भंवरदान के वारिसान हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 ता 5 व 7 से 9 के संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खेत खसरा नं. 205, 213, 214 तादादी कमशः 30 बीघा 1 विश्वा, 34 बीघा 5 विश्वा, 26 बीघा 4 विश्वा कुल तादादी 90 बीघा 10 विश्वा वाके रोही धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 से 5 व 7 से 9 के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है जिसका विभाजन नहीं हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 से 5 व 7 से 9 का वंशवृक्ष निम्नांकित है:–

भींवदान (फौत)

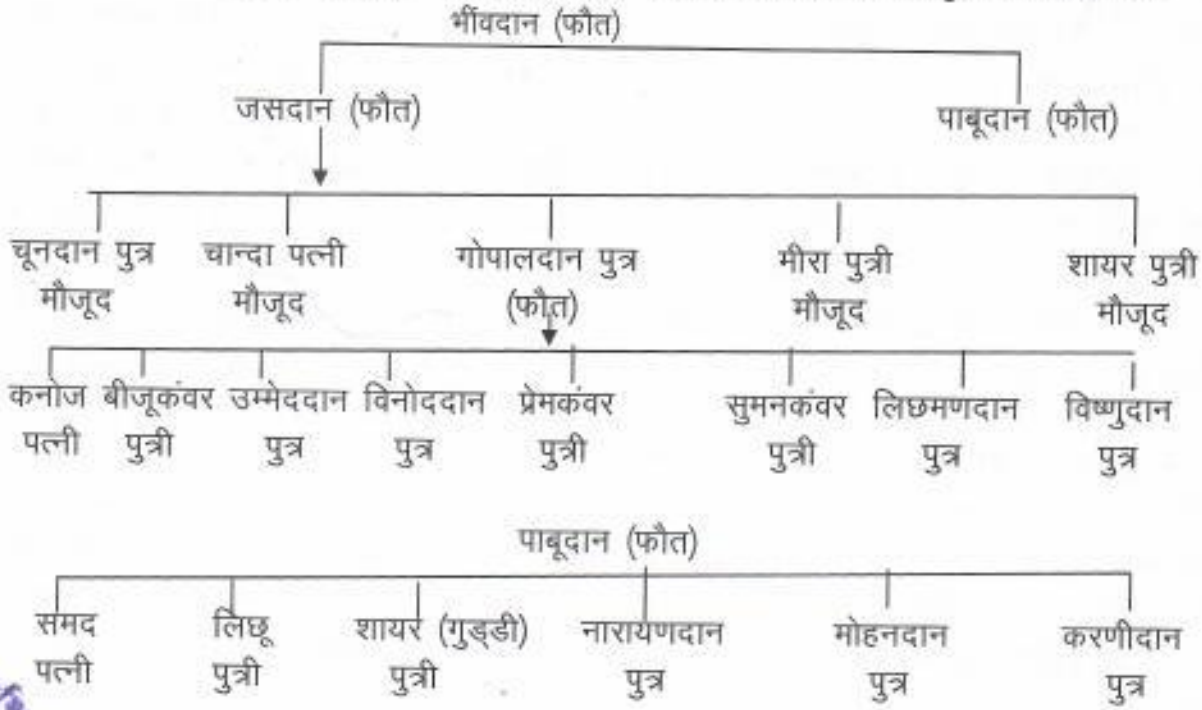

जसदान (फौत) | पाबूदान (फौत)

जसदान (फौत) के वंशज:

चूनदान पुत्र मौजूद | चान्दा पत्नी मौजूद | गोपालदान पुत्र (फौत) | मीरा पुत्री मौजूद | शायर पुत्री मौजूद

गोपालदान (फौत) के वंशज:

कनोज पत्नी | बीजूकंवर पुत्री | उम्मेददान पुत्र | विनोददान पुत्र | प्रेमकंवर पुत्री | सुमनकंवर पुत्री | लिछमणदान पुत्र | विष्णुदान पुत्र

पाबूदान (फौत)

समद पत्नी | लिछू पुत्री | शायर (गुड्डी) पुत्री | नारायणदान पुत्र | मोहनदान पुत्र | करणीदान पुत्र

यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 7 से 9 के दादा स्व. जसदान ने अपनी जायदाद अपने पुत्रगण चूनदान व गोपालदान में मौखिक रूप से बांट दी थी जिसके मुताबिक 22½ बीघा 2½ विश्वा चूनदान के हिस्से में एवं 22½ बीघा 2½ विश्वा गोपालदान के हिस्से में आयी। जसदान की मृत्यु के बाद तय किया गया कि उक्त कृषि भूमि में से मीरा, गोपालदान के हक में तथा शायर, चूनदान के हक में हक भूमि छोड़ देगी तथा चान्दा गोपालदान व चूनदान को आधी–आधी कृषि भूमि दे देगी। विरासतन इंतकाल जसदान की मृत्यु के बाद चूनदान, चान्दा, गोपालदान, मीरा, शायर, के नाम दर्ज हुआ। लेकिन मीरा और शायर की शादी हो गई है वो अपने अपने ससुराल रहती हैं। चूंकि 22½ बीघा 2½ विश्वा भूमि चूनदान के हिस्से में आनी थी इसलिए शायर ने 9 बीघा 1 विश्वा व चान्दा ने 4 बीघा 10½ विश्वा भूमि चूनदान के नाम करवा दी है। चूंकि गोपालदान गरीब होने के कारण एवं मीराकंवर से 9 बीघा 1 विश्वा व चान्दाकंवर से 4 बीघा 10½ विश्वा भूमि गोपालदान के नाम नहीं करवायी जा सकी। इस कारण राजस्व रिकार्ड में मीरा के नाम व चान्दा के नाम विरासतन इंतकाल के मुताबकि ही भूमि दर्ज चली आ रही थी। मौके पर 22½ बीघा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 7 से 9 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थीगण ने खेत में ही मकान बना रखे हैं तथा वहीं पर रिहायश करते हैं तथा अपना पशुधन आदि रखते हैं। यह कि प्रार्थीगण द्वारा मीरा एवं शायरकंवर के भात छुछक भरे हैं एवं अन्य उत्सवों पर लगातार खर्चा किया है। इस कारण मीरा व शायर ने उक्त भूमि में से अपना–अपना हिस्सा छोड़ दिया है। चूनदान के पक्ष में इंतकाल भी दर्ज हो चुका है। मीरा व शायर कोई भी हिस्सा उक्त भूमि में नहीं लेना चाहती थी इसी कारण चूनदान के पक्ष में इंतकाल दर्ज हुआ है तथा मीरा के द्वारा गोपालदान के हक में राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि नहीं करवाई जा सकी। इसी दौरान गोपालदान की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात् राजस्व रिकार्ड में मीरा का नाम हटाया जाकर प्रार्थीगण का नाम दर्ज होना था। प्रार्थीगण उक्त राजस्व रिकार्ड में मीरा का नाम हटाकर अपना नाम दर्ज नहीं करवा सके।

यह कि चूनदान बहुत ही होशियार व शातिर किस्म का व्यक्ति है जो प्रार्थीगण से रंजिश रखता है। उसने प्रार्थीगण के हिस्से को हड़पने के लिए दिनांक 04.08.2014 को अपने

उपखण्ड अधिका

मित्र चिमनाराम के नाम से 9 बीघा प विश्वा भूमि का बैनामा मीरा से करवा लिया है। मीरा को उक्त बैनामा की ऐवज में किसी प्रकार का प्रतिफल अदा नहीं किया है तथा मीरादेवी का उक्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं उक्त भूमि का बैनामा के बाद चिमनाराम का कब्जा भी नहीं करवाया है ताकि कालान्तर में जाकर वह चिमनाराम से उक्त कृषि भूमि का बैनामा अपने नाम करवा सके। बैनामा दिनांक 04.08.2014 को गलत रूप से सब रजिस्ट्रार चूरू के यहां रजिस्टर्ड करवा लिया है जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 7 से 9 तथा अन्य किसी को शेयरर्र की मौजूदगी एवं सहमति से ना तो वादगत कृषि भूमि का कोई बंटवारा हुआ है और न ही प्रचलित कानून के मुताबिक बैनामा दिनांक 04.08.2014 को पंजीकृत एवं रजिस्टर्ड करवाने हेतु प्रतिवादी सं. 2 हक रखती थी प्रचलित कानून के मुताबिक बैनामा दिनांक 04.08.2014 शुरू से ही शून्य एवं निष्प्रभावी दस्तावेज की श्रेणी में आता है। यह कि चूनदान ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में मीरा का नाम होने का अनुचित लाभ उठाकर चिमनाराम के नाम बाला–बाला दिनांक 04.08.2014 को प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि में से 9 बीघा 1 विश्वा का अपने मित्र के हक में उक्त कृषि भूमि का बैनामा तस्दीक करवा लिया। राजस्व रिकार्ड में मीरादेवी का नाम दर्ज रह जाने के कारण रिकॉर्ड का फायदा उठाकर, साजिशपूर्वक, कपटपूर्वक उक्त कृषि भूमि को बिना बंटी होने के बावजूद भी बिना प्रतिफल दिये एक विकय पत्र सब रजिस्ट्रार चूरू के यहां रजिस्टर्ड करवा लिया। जिसको निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड चूरू के न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

यह कि प्रार्थीगण को उक्त बैनामे की जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा लालचवश एवं बदनीयती से संयुक्त सम्पदा को हड़पने हेतु बाला–बाला उक्त बैनामा रजिस्टर्ड करवा लिया तथा कथित बैनामा दिनांकित 11.09.2014 का ज्ञान प्रार्थीगण को तब हुआ जब अप्रार्थी चूनदान ने उक्त बैनामे होने बाबत कहा। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त तथाकथित बैनामे दिनांकित 11.09.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने पर समस्त स्थिति का ज्ञान हुआ। अप्रार्थी सं. 1 को उक्त कृषि भूमि को विकय करने एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने पर आमादा है इसी बाबत प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 11.09.2014 को उक्त कृषि भूमि को विकय करने की धमकी दी है और कहा कि खाता उनके नाम से है भूमि कय–विकय करने वाले व्यक्तियों को भूमि बेच देंगे। अप्रार्थी सं. 1 ने ग्राहक भी तैयार कर रखे हैं। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की नीयत बिगड़ गयी है। अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि पर कब्जा करने एवं करवाने पर आमादा हैं। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को वर्जित किया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 205, 213, 214 तादादी कमशः 30 बीघा 1 विश्वा, 34 बीघा 5 विश्वा, 26 बीघा 4 विश्वा कुल तादादी 90 बीघा 10 विश्वा रोही ग्राम धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू का रहन बैय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 7 से 9 के कब्जा काश्त एवं रिहायश की कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण कब्जा नहीं करें, करावें, न ही ऐसा कोई कार्य या उपकार्य करें जिससे प्रार्थीगण के हितों पर विपरीत असर पड़े।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से श्री भीमसिंह एडवोकेट उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पत्रावली जवाब एवं शेष अप्रार्थीगण की तलबी में नियत रही। इस दौरान अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि प्रा0पत्र की मद सं. 1 जिस प्रकार लिखी हुई है स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार की जाती है। 90 बीघा 10 विश्वा कृषि भूमि रोही मौजा धीरासर चारनान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 11 व 15 ता 17 की संयुक्त खातेदारी की होना स्वीकार है परन्तु यह संयुक्त हिन्दू परिवार की होना अस्वीकार की जाती है। जसदान के वारिस सभी अलग अलग निवास करते हैं तथा कृषि भूमि को उनके हिस्से के अनुसार उन्होंने आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उसी के अनुसार कब्जा एवं काश्त है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 2 स्वीकार है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी रामूराम के सफल होने की कोई सम्भावना नहीं है। कि प्रा0पत्र की मद सं. 1 जिस प्रकार लिखी हुई है स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार की जाती है। इस मद में सभी तथ्य मनगढन्त रूप से मिथ्या लिखे हैं। जसदान की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों के इंतकाल दर्ज होना स्वीकार है यह इंतकाल हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सही दर्ज हुआ था इसमें कहीं कोई गलती नही हुई है। चूनदान एवं गोपालदान के पक्ष में आधी आधी कृषि भूमि रखने बाबत कोई पारिवारिक समझौता नहीं किया गया था सभी तथ्य मिथ्या अंकित किये हैं। मौके पर गोपालदान व चूनदान की आधी आधी भूमि होने का तथ्य भी गलत अंकित किया है। जसदान के 5 वारिस चूनदान, गोपलदान, चान्दा, मीरा व शायर थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात् सभी पांचों वारिसों के कृषि भूमि विरासतन दर्ज हुई तथा सभी पांचों वारिसान में आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार ही उनका कब्जा एवं काश्त रही है।

यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 4 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार की जाती है। इस मद में भी सभी तथ्य मनगढन्त रूप से मिथ्या अंकित किये हैं। मीरा व शायर ने अपना कोई हक त्याग नहीं किया था। मीरा व शायर रिकॉर्डेड खातेदार है तथा वे अपनी कृषि भूमि किसी को भी बेचने या अन्य किसी प्रकार से व्ययन करने की पूर्ण अधिकारिणी हैं तथा कानूनन उन्हें अपना हिस्सा व्ययन करने में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। प्रत्येक खातेदार को अपनी कृषि भूमि को व्ययन करने का अधिकार होता है। मीरा ने भी अपना 1/10 हिस्सा यानि 9 बीघा 1 विश्वा भूमि विक्रय की है जो कानून सम्मत है तथा उसने यह बेचान कानूनी रूप से सही किया है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 5 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार की जाती है। इस मद में भी सभी तथ्य मनगढन्त रूप से मिथ्या अंकित किये हैं। विवादित कृषि भूमि की खातेदार मीरा ने अपने हिस्से का बेचान चिमनाराम को किया है तथा उसने प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त करके ही बेचान किया है। चूनदान का इससे कोई लेनदेन नहीं है। मीरा ने चिमनाराम को अपने बाहमी बंटवारे में आये हिस्से पर कब्जा भी करा दिया है। सब रजिस्ट्रार चूरू के यहां जो बैनामा निष्पादित किया गया है जो बिल्कुल कानून सम्मत है उसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है। कानूनन ऐसा कहीं नहीं है कि कोई खातेदार अपने हिस्से की कृषि भूमि के बाबत किसी संयुक्त खातेदार की सहमति प्राप्त करे। इस प्रकार बैनामा के शून्य व निष्प्रभावी का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज काबिल है।

यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 6 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार की जाती है। इस मद में भी सभी तथ्य मनगढन्त रूप से मिथ्या अंकित किये हैं। मीरा ने अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बेचान पूर्ण रूप से विधिसम्मत किया है तथा इसमें किसी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रकार की त्रुटि नहीं की है। मीरा ने पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर ली है किसी सह खातेदार को यह अधिकार नहीं होता है कि वह दूसरे खातेदार को उसके हिस्से की कृषि भूमि का विकय करने से रोके। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार व हक नहीं है। इसलिए इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 7 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार की जाती है। इस मद में भी सभी तथ्य मनगढन्त रूप से मिथ्या अंकित किये हैं। विवादित कृषि भूमि की मीरा रिकार्डेड खातेदार थी इसलिए उसको विकय करने का कानूनन पूर्ण अधिकार था। प्रार्थीगण को इस विकय पत्र के बाबत शुरू से ही ज्ञान था तथा 11.09.14 को ज्ञान होने की बात मिथ्या लिखी गई है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कृषि भूमि के बेचने बाबत कोई धमकी नहीं दी है। सभी तथ्य मनगढन्त रूप से मिथ्या लिखे गये हैं। अप्रार्थीगण इस कृषि भूमि में संयुक्त खातेदार हैं तथा कानूनन संयुक्त खातेदार के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण का इस कृषि भूमि पर अप्रार्थिनी मीरा की भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। मीरा का कब्जा काश्त था तथा अप्रार्थी सं. 1 चिमनाराम का कब्जा एवं काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिय द्वाति का सिद्धान्त तीनों प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज काबिल योग्य है।

अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि कृषि भूमि ख. नं. 205 तादादी 30 बीघा 1 विश्वा, ख.नं. 213 तादादी 34 बीघा 5 विश्वा, ख.नं. 214 तादादी 26 बीघा 4 विश्वा कुल तादादी 90 बीघा 10 विश्वा रोही ग्राम धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की है। इस कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 2 मीरा का 1/10 हिस्सा यानि 9 बीघा 1 विश्वा भूमि की रिकार्डेड खातेदार थी तथा उसने अपने हिस्से की भूमि का विकय पत्र निष्पादित किया है। प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी कृषि भूमि विकय कर सकता है इसके लिए उसे अन्य सह खातेदार की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। कानूनन कोई भी सह खातेदार अपने सह खातेदार को उसके हिस्से की कृषि भूमि को न बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 मीरा द्वारा किया गया बेचान बिल्कुल विधिसम्मत है। यह कि अप्रार्थी सं. 2 ता 5 के पिता स्व. जसदान द्वारा कोई भी फैमिली सेटलमेण्ट नहीं किया गया था। पारिवारिक समझौता के सम्बन्ध में दावा में जो कथन किये गये हैं वो सभी मनगढन्त व मिथ्या रूप से किये गये हैं। यह कि अप्रार्थी सं. 2 मीरा ने अपने खातेदारी हिस्से का ही बेचान करवाया है जो विधिसम्मत है जिसमें किसी तरह की कानूनन त्रुटि नहीं है। किसी भी खातेदार को उसके द्वारा अपने हिस्से को विकय करने पर किसी तरह की कोई पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती। इस प्रकार वादीगण को यह प्रार्थन पत्र लाने का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 1 से 5 का जवाब पेश होने के बाद पत्रावली काफी समय तक अप्रार्थी सं. 7 से 9 की तलबी में लम्बित रही। बार-बार हिदायत दिये जाने के बावजूद भी तलबी में रूचि नहीं लेने पर दिनांक 10.05.16 को पत्रावली मय दावा ड्रॉप की गई। दिनांक 15.06.16 को प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायहित में दावा व प्रा0पत्र रिस्टोर कर सुनवाई का अवसर देने का निवेदन करने पर प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर दावा के साथ यह प्रा0पत्र नये नम्बरों से दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 7 से 9 को रजि0 डाक से सम्मन भिजवाये गये।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उक्त अप्रार्थीगण पर विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। पत्रावली काफी समय तक बहस में लम्बित चलती रहीं। वकील प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 26.06.19 को शीघ्र सुनवाई का प्रा0पत्र पेश करने पर वकील अप्रार्थी सं. 1 से 5 को प्रा0पत्र की प्रति दी गई जिन्होंने आगामी तारीख पेशी पर बहस हेतु अपनी सहमति दी। दिनांक 10.07.2019 को वकील प्रार्थीगण की ओर से सूची के संलग्न दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली किये जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि 90.10 बीघा में से 45 बीघा 5 विश्वा भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 से 5 व 7 से 9 की पैतृक खातेदारी की है जिसमें से प्रार्थीगण के पति व पिता की बहिन मीरा ने अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 को बिना कब्जा व काश्त व बिना प्रतिफल प्राप्त किये विक्रय कर दिया जो प्रारम्भ से ही शून्य है तथा उक्त मीरा के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 जबरन कब्जा करना चाहता है जबकि मौके पर उसका कोई कब्जा व काश्त नहीं है। हमने उकत विक्रय पत्र को निरस्त कराने का दावा भी सक्षम न्यायालय में पेश कर रखा है जो जेरकार है। उक्त कृषि भूमि में मौके पर प्रार्थीगण का आवासीय मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थीगण रिहायश करते हैं जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण का बनता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा वर्जित किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि पैतृक है जिसमें पुत्रियों का हक हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मौजूद है। उक्त कृषि भूमि में से मीरा ने अपना हिस्सा उचित प्रतिफल प्राप्त कर साधिकार अप्रार्थी सं. 1 को विक्रय कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया है तथा उक्त भूमि के मौके पर अप्रार्थी सं. 1 का ही कब्जा काश्त है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीगण को सह खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार हैं जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्राम धीरासर चारणान के ख.नं. 205, 213, 214 कुल तादादी 90.10 बीघा के 1/2 हिस्सा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के साथ स्व. पाबूदान के वारिसान खातेदार अंकित हैं जिसमें प्रार्थीगण का 1/10 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 का 1/10 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 4 का 1/10 हिस्सा अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070 से 2073 में भी उक्तानुसार प्रविष्टियां अंकित हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 एवं उसके बाद से सम्वत् 2069 तक के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की है। बैनामा दिनांक 04.08.14 के अनुसार वादगत कृषि भूमि की तत्समय खातेदार मीरा पुत्री जसदान पत्नी खेतुदान ने अपने 1/10 हिस्सा की 9.01 बीघा भूमि को 2,80,000/– (दो लाख अस्सी हजार रूपये) नकद प्राप्त कर चिमनाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील फतेहपुर को विक्रय कर अपने खातेदारी के समस्त हक अधिकार केता को दिया जाना मौके पर कब्जा व दखल केता को सम्भला दिया जाना अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिसमें सभी खातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। वादगत कृषि भूमि स्व. जसदान की 1/2 हिस्सा की खातेदारी की रही है जिसमें उसकी जायन्दा सन्तान पुत्र–पुत्रियों का बराबर बराबर हक हिस्सा होना जाहिर है। वादगत कृषि भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 ने पूर्व खातेदार मीरा, जो स्व. जसदान की जायन्दा पुत्री है, से उसका खातेदारी हिस्सा उचित प्रतिफल देकर साधिकार कय किया है तथा मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। अप्रार्थी सं. 1 वर्तमान में खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा अप्रार्थीगण जो कि रिकार्डेड खातेदार हैं, के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिससे सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो। वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। जहां तक उक्त कृषि भूमि में मीरा के विवादित 1/10 हिस्सा पर हक अधिकार का प्रश्न है जिसका विनिश्चय मूल दावा में पर्याप्त साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई के बाद गुणावगुण के आधार पर किया जाना है। अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त 1/10 हिस्सा पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर उचित प्रतिफल देकर कय किया है एवं मौके पर कब्जा प्राप्त किया है इसलिए उक्त वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए जब तक मूल दावा का निर्णय होकर प्रत्येक खातेदार का हक हिस्सा तय नहीं हो जाता तब तक वादगत कृषि भूमि के सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु आवश्यक तथ्य पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं। नियमानुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक भू–भाग पर प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा माना जाता है। सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से उनके खातेदारी अधिकार प्रभावित होने जाहिर हैं इसलिए सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(रेखा कोचर)
उपखण्ड अधिकारी,